रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 145] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 1970/श्रावण 14, 1892

No. 145] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 1970/SRAVANA 14, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 5th August 1970

G.S.R. 1153.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts Artificial or Synthetic Resins, falling under sub-item (1) of Item No. 15-A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), used in the manufacture of particle boards from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that—

(i) the Collector of Central Excise is satisfied that such goods are intended for use in the manufacture of particle boards;

(ii) the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed in respect of such goods;

(iii) the manufacturer declares the formula for using the said resins in the manufacture of particle boards and any changes therein before such changes are effected; and

(iv) where, in addition to the particle boards, the manufacturer manufactures other goods in the same factory, the manufacturer maintains separate accounts for the resin and the end products in such form as may be prescribed by the Collector of Central Excise.

[No. 158/70.]

P. R. KRISHNAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1970

सा० का० नि० 1153.—केन्द्रीय उत्पाद शल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 15—क की उप-मद (1) के अन्तर्गत आनेवाले कृत्रिम या संश्लिष्ट रेज़िन को, जो पार्टिकिल बोर्डों के विनिर्माण में प्रयुक्त होता है, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि—

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर का यह समाधान हो जाए कि ऐसा माल पार्टिकिल बोर्डों के विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित है;

(ii) केन्द्रीय उत्पाद शल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का ऐसे माल के संबंध में अनुसरण किया जाता है;

(iii) विनिर्माता पार्टिकिल बोर्डों के विनिर्माण में उक्त रेज़िन के प्रयक्त करने के सूत्र को और उसमें किन्ही परिवर्तनों को, ऐसे परिवर्तन करने से पूर्व, घोषित करता है; और

(iv) जहां पार्टिकिल बोर्डों के अतिरिक्त, विनिर्माता उसी कारखाने में अन्य माल विनिर्मित करता है, वहां विनिर्माता रेज़िन और अंतिम उत्पादों के लिए ऐसे प्ररूप में जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर द्वारा विहित किया जाए, पृथक लेखा बनाए रखता है।

[सी०ई०फा०सं० 45/4/69—सी एक्स—3 सं० 158/70]

पी० आर० कृष्णन्, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970